अध्याय 1

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2015-16 तथा वि.व. 2014-15 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन		**(₹ करोड़ में)**
	वि.व. 2015-16	**वि.व. 2014-15**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	19,42,353	16,66,717
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*7,42,012*	*6,95,792*
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां[1]	*7,13,879*	*5,49,343*
iii. गैर-कर प्राप्तियां	*4,84,581*	*4,19,982*
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	*1,881*	*1,600*
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ[2]	42,132	37,740
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली[3]	41,878	26,547
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[4]	43,16,950	42,18,196
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**63,43,313**	**59,49,200**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की संगणना संघ वित्त लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 2015-16 में ₹ 5,06,193 करोड़ तथा वि.व. 2014-15 में ₹ 3,37,808 करोड़ शामिल है।

1.1.2 वि.व. 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 16.5 *प्रतिशत* की वृद्धि से मुख्यत: संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वृद्धि को बढ़ावा मिला। प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 38.2 *प्रतिशत* था तथा पिछले वर्ष से वि.व. 2015-16 में 6.6 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

1 अप्रत्यक्ष करों जैसे सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि को माल एवं सेवाओं पर उदग्रहित किया जाता है;

2 इसमे बोनस शेयर का मूल्य,सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

3 संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

4 भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियां

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यत: शामिल हैं,

i. कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत **निगम कर;**

ii. व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत **आयकर** (कम्पनियों को छोड़कर);

iii. **अन्य प्रत्यक्ष कर जिनमें प्रतिभूति लेनदेन कर**[5] , **धनकर**[6] आदि शामिल है।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
					₹ करोड़ में
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	4,93,987	5,58,989	6,38,596	6,95,792	7,42,012
2.प्रतिदाय	93,814	83,766	89,060	1,12,163	1,22,596
3. प्रतिदाय पर ब्याज	6,486	6,666	6,598	5,332	6,886
					संख्या लाख में
4. अभिलिखित निर्धारिती[7]	363.5	373.8	470.3	607.6	644.01
5निम्न द्वारा फाइल वास्तविक रिटर्न					
क. गैर निगमित निर्धारिती	357.6	367.9	304.0	360.6	398.0
ख. निगमित निर्धारिती	5.9	5.9	6.4	6.8	6.9
6. पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण	3.7	3.1	2.9	5.35	3.39
7. लम्बित संवीक्षा निर्धारण	4.1	2.9	4.2	4.96	3.66

स्रोत: क्रम 1-संघ वित्त लेखे, क्रम सं.2- प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं.3 से 7-डीजीआईटी (लौजिस्टिक्स), सीबीडीटी

कर प्रशासन का विवरण *परिशिष्ट-1* में दिया गया है।

1.2.3 निम्न तालिका 1.3 आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

5 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। हालांकि, धारा 88ई के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2009-10 से किसी छूट की अनुमति नही है।

6 निवलधन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल है। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

7 वह मामले शामिल है जहां गैर-शून्य टीडीएस-26एएस मौजूद है किंतु आयकर विभाग के अभिलेख में कोई आईटीआर दर्ज नहीं है (159.93 लाख-वि.व. 2013-14, 169.35 लाख-वि.व. 2014-15 तथा 163.45 लाख-वि.व. 2015-16)। वि.व. 2014-15 तथा वि.व. 2015-16 के आंकड़ों में पिछले दो वर्षों के दौरान डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा कवर किए गए सभी निर्धारिती शामिल है।

तालिका 1.3 गैर-निगमित निर्धारिती						(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	**क**[8]	**ख$_1$**[9]	**ख$_2$**[10]	**ग**[11]	**घ**[12]	**कुल**
2011-12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04

स्रोत: महानिदेशालय, आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्नों पर आधारित है।

गैर निगमित निर्धारितियों ने वि.व. 2014-15 में 18.6 *प्रतिशत* वृद्धि की तुलना में वि.व. 2015-16 में 10.4 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की थी। जैसाकि उपरोक्त तालिका 1.3 तथा चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान कई निर्धारितियों ने निम्न आय श्रेणी 'क' से माध्यम आय और उच्च आय श्रेणियों ख$_1$, ख$_2$ तथा ग में सुस्थिर स्थानांतरण किया है।

चार्ट 1.1 गैर-निगमित निर्धारितियों के आयवार ब्यौरें

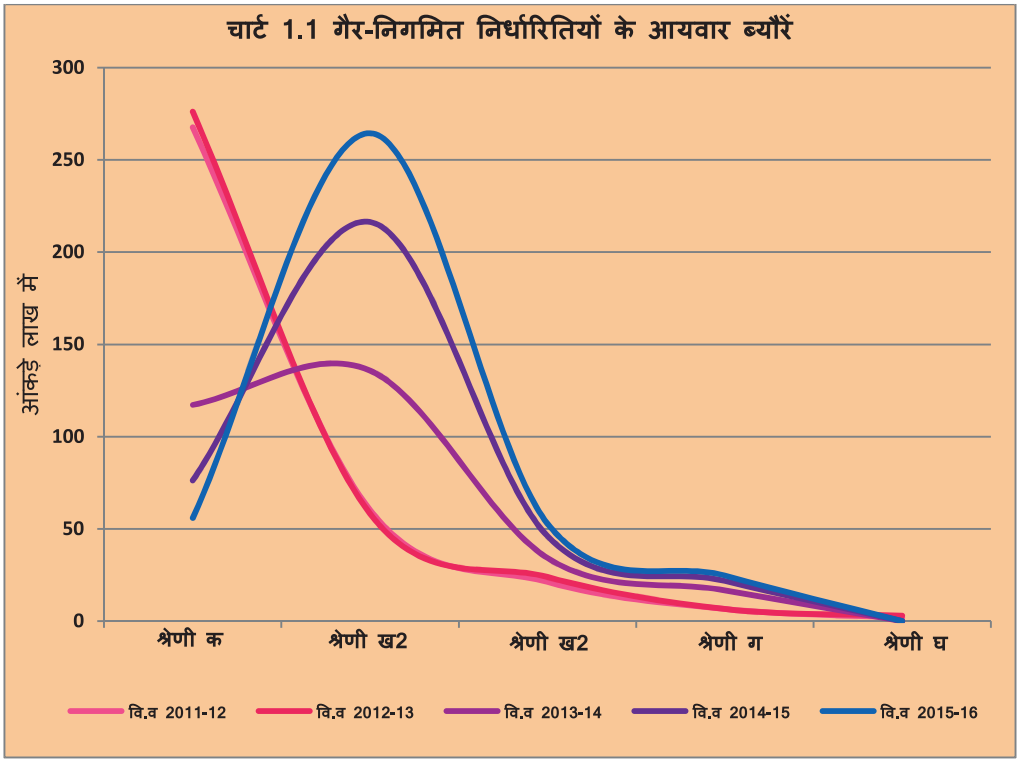

8 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण;

9 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह) -₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

10 श्रेणी "ख2" निर्धारिती (उच्च आय समूह) -₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दस लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

11 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;

12 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

1.2.4 निम्नलिखित तालिका 1.4 आय की विभिन्न श्रेणियों में निगमित निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.4 निगमित निर्धारिती (आंकड़े लाख में)

वित्तीय वर्ष	क[13]	ख$_1$[14]	ख$_2$[15]	ग[16]	घ[17]	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्यरत कम्पनियां
2011-12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00*	6.75	0.69	10.16
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00^	6.88	0.76	10.82

स्रोत: महानिदेशालय, आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्नों पर आधारित है।

* 256 निर्धारिती; ^ 337 निर्धारिती

निगमित निर्धारितियों ने वि.व. 2014-15 में 6.1 *प्रतिशत* की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2015-16 में 1.9 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की थी। गैर-निगमित निर्धारितियों को तरह इसमे भी वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 की पांच वर्षों की अवधि में निर्धारितियों के आय प्रोफाइल में सुस्थिर परिवर्तन हुआ और उच्च आय कोष्टकों में अधिक प्रविष्टियां हुई।

13 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;

14 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ पॉच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

15 श्रेणी "ख2" निर्धारिती (उच्च आय समूह) -₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दस लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

16 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;

17 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

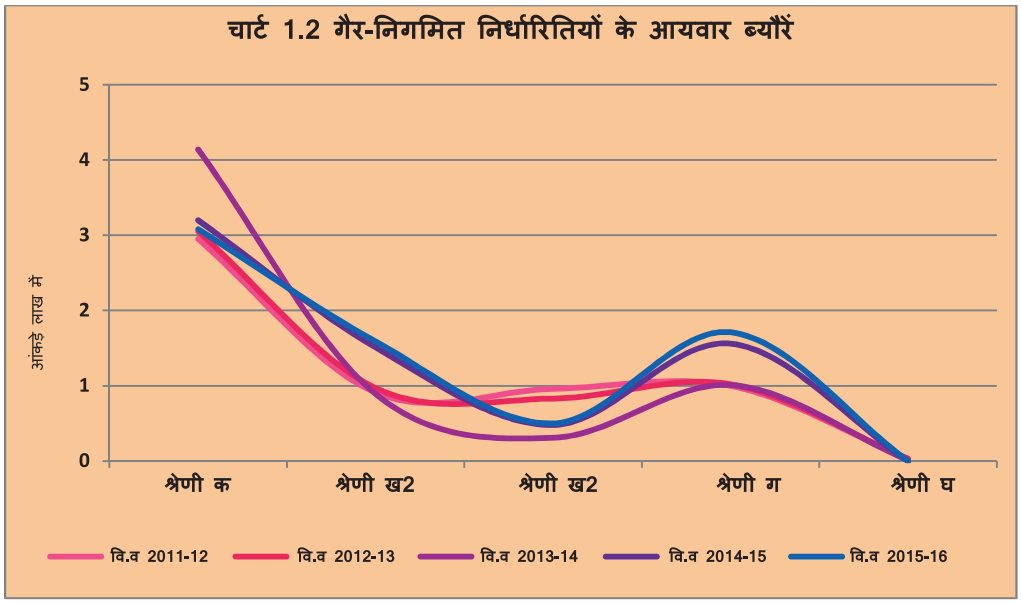

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसके साथ साथ यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आय कर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढाने, कर दाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र के मामलों से संबंधित मामलों को देखता है।

1.3.2 31 मार्च 2016 को आयकर विभाग की समस्त स्टाफ संख्या तथा कार्यरत संख्या क्रमश: 78,552 तथा 45,045 हैं। अधिकारियों[18] की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमश: 11,052 और 9,200 है। वर्ष 2015-16 के लिए राजस्व व्यय ₹ 4,688.6 करोड़[19] है।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट अनुमानों की तदनुरूपी वास्तविक से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक

18 प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/अपर डीआईटी, डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी/डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

19 वि.व. 2015-16 के संघ वित्त लेखे।

अप्रत्याशित और यादृच्छ रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकता है या कभी किसी महत्वपूर्ण पैरामीटर को कम प्रक्षेपित/अधिक प्रक्षेपित करना सुविधाजनक हो सकता है।

1.4.2 निम्नलिखित तालिका 1.5 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान बजट अनुमानों(बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाती है।

तालिका 1.5 वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक माइनस बजट अनुमान	वास्तविक माइनस संशोधित अनुमान	बजट अनुमान *प्रतिशत* के रूप में अन्तर	संशोधित अनुमान के *प्रतिशत* के रूप में अन्तर
2011-12	5,32,651	5,00,651	4,93,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.3	(-) 1.3
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 2.0	(-) 1.2
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3

टिप्पणी:बजट अनुमान और संशोधित आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार है।

1.4.3 संशोधित अनुमानों वास्तविक पाये गए थे क्योंकि वास्तविक संग्रहण में अंतर वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों के (-) 1.4 *प्रतिशत* से 0.4 *प्रतिशत* के बीच रहा।

1.5 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.6 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान सकल कर प्राप्तियों[20] (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

20 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित है।

तालिका 1.6: प्रत्यक्ष कर में वृद्धि					(₹ करोड़ में)
वि.व.	**डीटी**	**जीटीआर**	**जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर**	**जीडीपी**	**जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर**
2011-12	4,93,987	8,89,118	55.6	90,09,722	5.5
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.9	99,88,540	5.6
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,45,056	5.6
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5
2015-16	7,42,012	14,55,891	51.0	1,35,76,086	5.5

स्रोत: डीटी तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी मंत्रालय तथा कार्यकम कार्यान्वयन: वि.व. 2015-16 हेतु जीडीपी-31 मई 2016 को सीएसओ द्वारा प्रकाशित प्रैस नोट। जीडीपी के आंकड़े सीएसओ द्वारा लगातार संशोधित किए जा रहे है।

1.5.2 यद्यपि वि.व. 2014-15 की तुलना में वि.व. 2015-16 में प्रत्यक्ष कर 6.6 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था फिर भी जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वि.व 2014-15 की तुलना में वि.व. 2015-16 में 4.9 *प्रतिशत* की कमी आई थी। यह वि.व. 2015-16 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में 30 *प्रतिशत* की वृद्धि के कारण था जैसाकि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

1.5.3 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.7: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और इसके मुख्य संघटको की वृद्धि						(₹ करोड़)
वि.व.	**प्रत्यक्ष कर**	**पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि**	**निगम कर**	**पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि**	**आय कर**	**पिछले वर्ष से *प्रतिशत* वृद्धि**
2011-12	4,93,987	10.8	3,22,816	8.1	1,64,525	18.3
2012-13	5,58,989	13.2	3,56,326	10.4	1,96,843	19.6
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5

1.5.4 डीटी, सीटी और आईटी की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान क्रमश: 10.7 *प्रतिशत,* 8.9 *प्रतिशत* और 14.3 *प्रतिशत* थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनो के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न तरीके जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर और

नियमित निर्धारण कर है। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व निर्धारण संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण पश्च निर्धारण पर होता है।

1.5.6 निम्न तालिका 1.8 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान निगम कर और आय कर के पूर्व निर्धारण तथा पश्च निर्धारण संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगम कर और आय कर का संग्रहण **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	पूर्व-निर्धारण संग्रहण	पश्च निर्धारण संग्रहण	अन्य प्राप्तियां जिनमे अधिप्रभार तथा उपकर शामिल है	कुल संग्रहण
2011-12	4,77,853	51,512	50,134	5,79,499
2012-13	5,25,918	62,418	48,596	6,36,932
2013-14	5,85,192	72,528	63,884	7,21,604
2014-15	6,37,681	80,189	81,589	7,99,459
2015-16	6,95,171	63,814	96,940	8,55,925

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़ें संबंधित वर्षों के दौरान प्र.सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त किए गए थे। संग्रहण के आकंड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है।

1.5.7 वि.व. 2015-16 के दौरान निगम कर तथा आय कर का स्वैच्छिक अनुपालन वि.व. 2014-15 में 79.8 *प्रतिशत* की तुलना में 81.2 *प्रतिशत* था।

1.6 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

1.6.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधिपूर्ति हेतु राजस्वों को बढ़ाना हैं। सृजित राजस्व की राशि काफी हद तक सामुहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करती हैं। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट शामिल है। इन उपायों को सामूहिक रूप से "कर अधिमान या कर वरीयता" कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.6.2 अन्य बातों के साथ-साथ आय कर अधिनियम, व्यक्तियों द्वारा बचत तथा धर्मार्थ दान को प्रोत्साहित करने के लिए, निर्यात संवर्धन हेतु कर प्रोत्साहनों, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र और पूंजी निवेश हेतु त्वरित मूल्यह्रास का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट निगमित और गैर निगमित करदाताओं द्वारा केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। नीचे तालिका 1.9 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.9 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	निम्नलिखित के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व प्रभाव		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2011-12	1,01,140	1.1	20.5	11.4
2012-13	1,02,256	1.0	18.3	9.9
2013-14	93,047	0.8	14.6	8.2
2014-15	1,18,593	0.9	17.0	9.5
2015-16	1,28,693	0.9	17.3	8.8

टिप्पणी: कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के आंकड़े प्राप्ति बजट के अनुसार वास्तविक है, वि.व. 2015-16 (प्रक्षेपित) को छोड़कर। यह धर्मार्थ संस्थाओं को कवर नहीं करते। हालांकि, प्राप्ति बजट 2016-17 के अनुसार धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा आवेदित राशि नवम्बर 2015 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई 1,19,317 रिटर्नों के संदर्भ में ₹ 2,36,326 करोड़ है।

1.6.4 कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव में वर्षों से (वि.व. 2013-14 को छोड़कर) निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 87वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में देखा कि सरकार ने 'हालांकि विलंब से' इस दिशा में कुछ उपाय प्रस्तावित किए थे किंतु यह महसूस किया कि सरकार को अनुचित कर छूटों/कटौतियों को हटाने के लिए कुछ अंतरिम उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने 2015 के अपने बजट भाषण में घोषणा की कि निर्धारिती के लिए छूट को तर्क संगत बनाया तथा हटाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 35, 35एसी, 35एडी, 35 सीसीसी, 35सीसीडी, 80आईए, 80आईएबी तथा 80 आईबी (9) के अंतर्गत कटौती को तर्क संगत करने के लिए कतिपय उपाय किए है।

1.7 कर आधार का विस्तारण

1.7.1 आयकर विभाग के पास निर्धारिती आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक जानकारी विवरणियों (एआईआर) में उपलब्ध तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है। आयकर विभाग की केंद्रीय कार्य योजना 2015-16 में कर आधार के विस्तारण हेतु मुख्य परिणाम क्षेत्र है:

क. टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन में सुधार करना;

ख. उच्च मूल्य संव्यवहारों के बारे में सूचना का प्रभावी संग्रहण;

ग. वैध पैन के बिना सूचना की प्रभावी व्यवस्था; और

घ. विभिन्न तरीकों से निर्धारित नॉन-फाइलर्स से अनुपालन सुनिश्चित करना।

1.7.2 *परिशिष्ट 1* में दर्शाए गए टीडीएस का डाटा वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 की अवधि में 44.7 *प्रतिशत* वृद्धि दर्शाता है, जो टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन में सुधार करने का संकेत देता है। कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसीज)[21] के डाटा के अनुसार कुल कार्यरत कम्पनियों के आंकड़ों की आयकर विभाग के अनुसार कुल फाइलरों के साथ तुलना से पता चला कि चिन्हित नॉन फाइलर्स द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना प्रभावी नहीं है। चूंकि वि.व. 2014-15 में आरओसी में 10.16 लाख कम्पनियां पंजीकृत थी जिसके प्रति यह देखा गया कि वि.व. 2015-16 में, 6.88 लाख कम्पनियां ही आयकर रिटर्न फाईलकर्त्ता हैं। चूंकि, सभी कार्यरत कम्पनियों (चाहे लाभ अर्जित करने वाली या हानि वहन करने वाली) को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार उनके आय के रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है, ऐसी 47.7 *प्रतिशत* कम्पनियों ने वि.व. 2014-15 में उनके आय के रिटर्न फाइल नहीं किए थे।

1.8 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.8.1 चार्ट 1.3 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

21 स्रोत:कार्पोरेट मामलों का मंत्रालय (सांख्यिकी डिविजन)

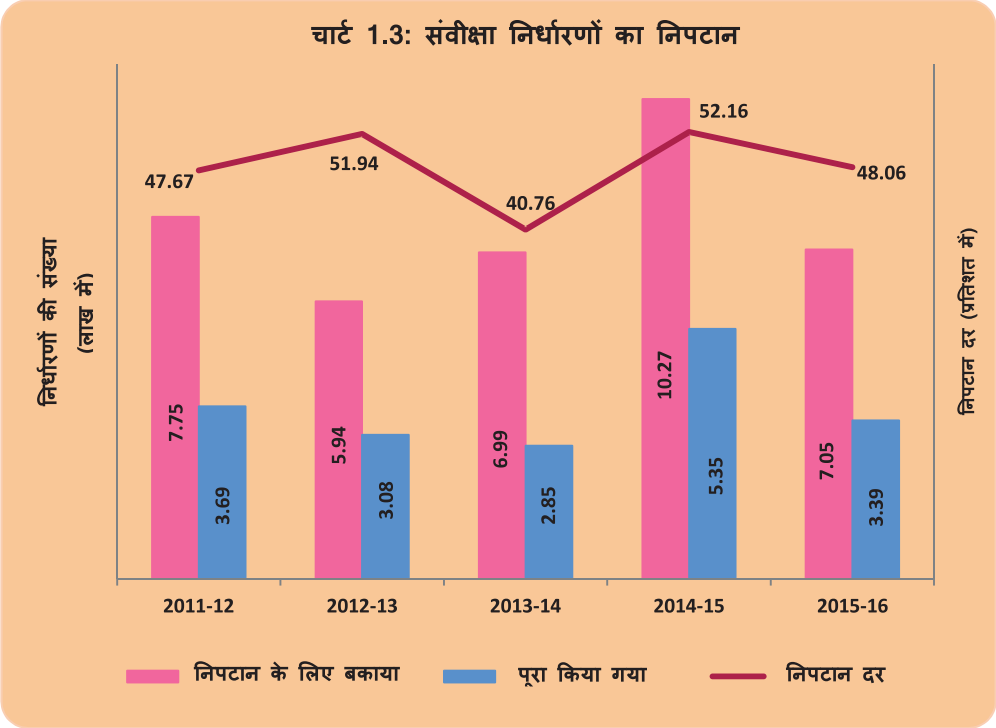

1.8.2 वि.व. 2015-16 में संवीक्षा निर्धारण मामलों के निपटान में वि.व. 2014-15 में 52.16 *प्रतिशत* की तुलना में 48.06 *प्रतिशत* तक कमी आई है।

1.9 प्रतिदाय दावों का निपटान

1.9.1 निम्न तालिका 1.10 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृति को दर्शाती है।

तालिका 1.10: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान **(संख्या लाख में)**

वि.व.	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	प्रतिशतता में लम्बन
2011-12	52.8	40.3	12.5	23.7
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.9
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5
2014-15	31.5	22.6	8.9	28.1
2015-16	38.9	33.4	5.5	14.2

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), शोध एवं सांख्यिकी विंग,

1.9.2 वि.व. 2015-16 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के लंबन में काफी कमी हो गई है।

1.9.3 वि.व. 2015-16 में सरकार ने ₹ 1,22,596 करोड़ वापस किये जिसमें ₹ 6,886 करोड़ (5.6 *प्रतिशत*) ब्याज शामिल है। वि.व. 2014-15 में प्रतिदाय

पर दिया गया ब्याज ₹ 5,332 करोड़ (₹ 1,12,163 करोड़ का 4.8 *प्रतिशत*, वापस की गई राशि) था।

1.10 बकाया मांग

1.10.1 निम्नलिखित तालिका 1.11 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 की अवधि के दौरान बकाया मांग की प्रवृति दर्शाती है।

तालिका 1.11 बकाया मांग (₹ **करोड़ में**)

वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षों का बकाया मांग	चालू वर्ष की मांग	कुल बकाया मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग
2011-12	2,65,040	1,43,378	4,08,418	3,87,614
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256

स्रोत: निदेशक आयकर (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं) द्वारा उपलब्ध कराए गए संबंधित वि.व. के मार्च माह के विश्लेषण सहित सीएपी ।मांग एवं संग्रहण विवरण।

1.10.2 संबंधित वित्तिय वर्ष के मार्च माह के मांग एवं संग्रहण विवरण में विभिन्न कारकों अर्थात वसूली हेतु अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत् मामलों, निर्धारिती का पता न लगना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा स्थागित मांग आदि जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर हो गई, का विश्लेषण किया गया था। यह मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और यह वि.व. 2014-15 में 96.1 *प्रतिशत* के प्रति वि.व. 2015-16 में मांग के कुल बकाया का 97.3 *प्रतिशत* हैं।

1.10.3 कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओ) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा को निर्धारित करते हुए प्रमाणपत्र तैयार करता है और राशि की वसूली को शुरू करने के लिए कार्यवाही करता है। असंग्रहीत रह गई प्रमाणित मांग वि.व. 2014-15 में ₹ 2.36 लाख करोड की तुलना में वि.व. 2015-16 में ₹ 2.40 लाख करोड़ पर स्थिर थी। टीआरओज वि.व. 2015-16 में लंबित प्रमाणित मांग के 8.5 *प्रतिशत* (₹ 22,089.31 करोड़) का निपटान कर सके।

1.11 अपील मामलों के निपटान

1.11.1 निम्न तालिका 1.12 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.12: सीआईटी (अपील) द्वारा अपील मामलों का निपटान					
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपील मामले	निपटाए गए अपील मामले	लंबित अपील मामले	प्रतिशतता में लम्बन	अपील मामलों में अवरूद्ध राशि
	(संख्या लाख में)				(₹ करोड़ में)
2011-12	3.06	0.76	2.30	75.3	2,42,182
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), शोध एवं सांख्यिकी विंग।

1.11.2 सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरोधित राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में संशोधित राजस्व घाटे के 1.1 गुना के प्रति वि. व. 2015-16 में भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के लगभग 1.5 गुना है।

1.11.3 निम्न तालिका 1.13, 31 मार्च 2016 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणो (आईटीएटीज)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.13: आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील/याचिकाऐं और अन्य मामले		
प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरोधित राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटीज	32,834	1,35,984
उच्च न्यायालयों	32,138	1,61,418
सर्वोच्च न्यायालय	5,399	7,092
कुल	**70,371**	**3,04,494**

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), शोध एवं सांख्यिकी विंग नई दिल्ली

1.11.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरूद्ध राशि 31 मार्च 2015 को (77,448 मामले) में ₹ 1.9 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2016 को (70,371 मामले) में ₹ 3.0 लाख करोड़ थी।

1.12 अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण

अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण, मुख्य प्रमाण चयन तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहॉ कर-वंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आईटीडी के अधीन है। निम्न तालिका 1.14 वि. व. 2011-12 से वि.व.

2015-16 के दौरान किए गए अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण और अप्रकटित आय/दाखिल की गई/पता लगाई गई को दर्शाती है।

तालिका 1.14: अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण मामलों की प्रास्थिति				(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	अन्वेषण किए गए समूहों की संख्या	दाखिल की गई अप्रकटित आय	किए गए सर्वेक्षण की संख्या	पता लगाई गई अप्रकटित आय
2011-12	621	15,071	3,706	6,573
2012-13	422	10,292	4,630	19,337
2013-14	569	10,792	5,327	90,391
2014-15	545	10,288	5,035	12,820
2015-16	447	11,226	4,428	9,700

स्रोत: जॉच विंग, सीबीडीटी

अन्वेषण एवं जब्ती के दौरान दाखिल की गई अप्रकटित आय वि.व. 2015-16 में 9.1 *प्रतिशत* तक बढ़ गई थी, तथापि, सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अप्रकटित राशि उसी अवधि में 24.3 *प्रतिशत* तक घट गई।

1.13 अभियोजन मामलों की प्रास्थिति

निम्न तालिका 1.15, वि. व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 तक शुरू किए गए अभियोजन कार्यवाही की प्रास्थिति, निर्णित मामलों अर्थात अभिशंसित, संयोजित और विमुक्त को दर्शाती है।

तालिका 1.15: अभियोजन कार्यवाही मामलों की प्रास्थिति					(संख्या)
वित्तीय वर्ष	शुरू किए गए अभियोजन	मामलों का निपटान			
		अभिशंसित	संयोजित	विमुक्त	कुल मामले
2011-12	209	14	397	182	593
2012-13	283	10	205	50	265
2013-14	641	41	561	62	664
2014-15	669	34	900	42	976
2015-16	552	28	1,019	38	1,085

स्रोत: जॉच विंग, सीबीडीटी

1.13.2 संयोजित मामलों की संख्या वि. व. 2011-12 में निपटाए गए 66.9 *प्रतिशत* मामलों से विव 2015-16 में 93.9 *प्रतिशत* तक मजबूती से बढ़ गई और निपटाए गए अभियोजन मामलों में विमुक्तियॉ 2011-12 में 30.7 *प्रतिशत* से वि.व. 2015-16 में 3.5 *प्रतिशत* बहुत अधिक घट गई।

1.14 परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज

वि.व. 2015-16 के लिए आईटीडी के लिए परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) में करदाताओं के साथ बेहतर संव्यवहार, करदाता सेवाओं को

बढ़ाने के लिए बेहतर मानव संसाधन का प्रबंधन, सूचना तकनीक बढ़ाने के द्वारा करदाता सेवाओं को मजबूत करना, कर प्रशासन में कार्यक्षमता और टीएआरसी की संस्तुतियों का कार्यान्वयन, उद्देश्यों के तहत शामिल हैं।

1.15 आयकर विभाग की आईटी पहलें

1.15.1 प्रभावी योजना सहित कर आधार को भी विस्तारित करने के प्रति कर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार और प्रबंधन को विश्वसनीय और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयकर विभाग ने समय-समय पर कई आईसीटी एप्लीकेशन शुरू की।

1.15.2 आईटीडी ने करदाता का प्रोफाइल तैयार करने के लिये डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर के रूप में एकीकृत करदाता डेटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) तैयार किया। यह उपभोक्ता को डेटा की उच्च मात्रा और अधिक लिंकेज के साथ करदाताओं को पूरा प्रोफाइल तैयार करने में सक्षम बनाता है। उन्नत संस्करण डेटा की अधिक मात्रा संभालता और बेहतर संपर्क बनाता है।

1.15.3 आईटीडी ने आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) नाम वाली एक अलग परियोजना शुरू की है जिससे इसने वर्तमान आईटीडी एप्लीकेशन को नई संरचना और रूपरेखा में पुन: तैयार करने की योजना बनाई। इस एप्लीकेशन की कुछ विशेषताएं कार्यप्रवाह पर आधारित प्रबंधन प्रणाली, चेतावनी एवं अधिसूचना सेवाएं, करदाताओं का समेकित मत, सभी (प्राधिकृत उपाभोक्ताओं) के लिए बहुत बड़ी संख्या में मानक एवं कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बनाने की क्षमता, सभी को एक समान मेलिंग उपाय आदि हैं। यह एप्लीकेशन अब भी विकासशील है।

1.15.4 आईटीडी ने कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सूचना की प्रभावी उपयोगिता और अनुपालन में सुधार के लिए गैर-दखल सूचना चालित दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए डाटा वेयरहाउस पर "प्रोजेक्ट इनसाइट" और व्यापारिक असूचना (डी डब्ल्यू एंड बीआई) प्लेटफार्म प्रारंभ किया है। इसमें डाटा वेयरहाउस, डाटा माइनिंग, वेबमाइनिंग, प्रागाक्ति मॉडलिंग, डाटा विनिमय, मास्टर डाटा प्रबंधन, केन्द्रीय प्रसंस्करण, अनुपालन जोखिम प्रबंधन और मामला विश्लेषण क्षमताएं सम्मिलित हैं। परियोजना विव 2016-17 में प्रारंभ होनी अपेक्षित है।

1.15.5 तकनीक की सहायता से विभाग में मुकदमेबाजी प्रबंधन को सुधारने के उद्देश्य से आईटीडी ने "राष्ट्रीय अदालती संदर्भ प्रणाली" एक परियोजना प्रारंभ की है। अपील एवं निर्णयों का कम्प्यूटराईज्ड डाटाबेस उन मामलों का पता

लगाने में मदद करेगा जो कि व्यवस्थापित मामलों पर मुकदमेबाजी को छोड़कर, समान मामलों को एकत्रित करना, महत्वपूर्ण मामलों की प्राथमिकता, क्षमता निर्माण और करनीति विश्लेषण में निश्चितात्मकता प्राप्त की है। सॉफ्टवेयर बनाया एवं कार्यान्वित किया गया है। यह परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों/आईटीएटीज से अपील डाटा की प्रयोग करती है।

1.16 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.16.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसोधित किए जा रहे हैं। आईटीडी ने 2007 के निर्देश सं. 3 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए कार्ययोजना बनाता है और वि.व. 2014-15 में लेखापरीक्षित 1,66,229 मामलों के विरूद्ध वि.व. 2015-16 में 1,78,793 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.16.2 तालिका 1.16 वि.व. 2011-12 से वि.व. 2015-16 तक प्रत्येक पॉच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.16: जोड़े गए, निपटान किए गए और लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण (₹ **करोड़ में**)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष		जमा		निपटान		लम्बन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12	34,940	8,516	13,771	1,880	14,148	1,118	34,563	9,278
2012-13	34,563	9,278	18,275	4,135	16,626	2,736	36,212	10,677
2013-14	36,212	10,677	14,423	8,951	26,322	8,610	24,313	11,018
2014-15	20,834^	8,368	9,927	2,292	15,586	3,805	15,175	6,855
2015-16	19,137^	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281

स्रोत: आयकर (आयकर एवं लेखापरीक्षा); ^मार्च को समाप्त तिमाही के लिए विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संबंधित सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े

1.16.3 वि.व. 2014-15 में 10,624 मामलों में से 4,973 मामले (46.8 *प्रतिशत)* की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 11,509 मुख्य आपत्तियों के मामलों[22] में से, एओज ने, वि.व. 2015-16 में 3,730 मामलों (32.41 *प्रतिशत*) पर कार्य की।

22 आयकर में ₹ दो लाख के ऊपर और अन्य करों में 30,000 से ऊपर लेखापरीक्षा आपत्ति